

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-जयपुर/2024/ दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कनिष्ठ सहायकों को उनके परिवीक्षा अवधि सन्तोषप्रद पूर्ण करने के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में दो वर्ष की परिवीक्षाकाल पूर्ण तिथि से 20800 (लेवल-5) उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार वेतन नियतन करते हुये एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

क्र.स.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	2 वर्ष पश्चात परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि	कम्प्यूटर योग्यता RSCIT प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तिथि	टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि
1	श्री अशोक चौधरी, कनिष्ठ सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटन, नीमकाथाना।	21.10.2021	21.10.2023	07.09.2013	14.06.2023
2	श्री कृष्ण कुमार स्वामी, कनिष्ठ सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, थोई, नीमकाथाना।	30.04.2021	30.04. 2023	30.10.2021	14.06.2023

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर
दिनांक : 08/04/24

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन-जयपुर/2024/368

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नीमकाथाना।
- चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटन/थोई नीमकाथाना।
- संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref
6519948



Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2024.04.06 08:30:43 IST
Reason: Approved